न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 108/2017

राजाराम पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी ग्राम डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

शिशपाल पुत्र मोहकम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं सपठित धारा 14(4) राज0 भू. राजस्व आंवटन नियम 1970

उपस्थिति :–

1. श्री बाबुलाल चाण्डक, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री भागीरथ बिश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार घड़साना

– : : निर्णय : : –

दिनांकः– 21.09.2020

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी राजाराम पुत्र रामलाल द्वारा जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी शिशपाल पुत्र मोहकम ने तत्कालीन आवंटन अधिकारी उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ नम्बर 1 राज. नहर परियोजना मुकाम बीकानेर के समक्ष स्वंय को भूमिहीन कृषक बताकर आवंटन अधिकारी को धोखा देकर, असत्य तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र क्रंमाक 638/10.04.1974 पेश कर चक 1 पी.एम. प्रथम में पत्थर नम्बर 212/60 के किला नम्बर 8 ता 21 में 14.00 बीघा आवंटन करवा लिया। उक्त आंवटन प्रार्थना पत्र पर तथा सत्यापन एवं शपथ पत्र पर उसके स्वंय के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी भी नहीं हैं। किसी अन्य व्यक्ति के अंगुठा लगवाकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उक्त पुख्ता आवंटन के प्रार्थना पत्र में अपना नाम शिशपाल पुत्र मोहकम दर्शाकर भूमि आवंटन संबंधी जो कार्यवाही की हैं वह अवैध की गई हैं। शिशपाल पुत्र मोहकम ने अपने उक्त आवंटन प्रार्थना पत्र में अपनी पत्नी का नाम प्रेमादेवी दर्ज करवाया हैं, जो असत्य हैं। शिशपाल पुत्र मोहकम का सही नाम मतदाता सूची रायसिंहनगर(9) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के वर्ष 1980 भाग संख्या 114 वार्ड संख्या 5 एन.पी. डाबला के क्रम संख्या 119 पर रिछपाल पिता मोहकम दर्ज चला आ रहा था तथा इसी प्रकार अप्रार्थी के द्वारा वरवक्त आवंटन स्वंय के नाम से दर्ज चक 7 एन.पी. बी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

की कृषि भूमि को पत्रावली पर प्रकट नहीं किया था। अप्रार्थी के द्वारा वादीधीन कृषि भूमि के आंवटन के समय उक्त अहम तथ्य आवंटन अधिकारी से छिपाकर जिस प्रकार से आवंटन हासिल किया हैं, वह आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य था, जो आज भी बाद जांच एवं प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर खारिज योग्य हैं। अप्रार्थी ने वादाधीन 14.00 बीघा कृषि भूमि को आंवटन करवाने हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उस आवेदन पत्र के साथ फोटो कम परिचय प्रमाण पत्र पेश किया था, उसमें शिशपाल पुत्र मोहकम का फोटो नहीं लगा हैं। किसी अन्य व्यक्ति का फोटो लगाया हैं। पहचानकर्ता ने इसी कारण अपने हस्ताक्षर नहीं किये थे। इस प्रकार मातहत न्यायालय के समक्ष फोटो कम परिचय प्रमाण पत्र भी असत्य पेश हुआ था। अप्रार्थी शिशपाल जिसने तहसील रायसिंहनगर के चक 6 एन.पी. के खाता संख्या 91/131 में रिछपाल पुत्र मोहकम राम के नाम से पत्थर नम्बर 143/320 में स्थित 2.165 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 90/79 में स्थित पत्थर नम्बर 143/319 में 1.265 हैक्टेयर तथा चक 6 एन.पी. में खाता संख्या 164/138 के पत्थर नम्बर 143/320 में स्थित 0.899 हैक्टेयर एवं ग्राम हरीपुरा बारानी के खाता संख्या 108/97 के पत्थर नम्बर 1423/332 की 6.325 हैक्टेयर रकबा को आवंटन अधिकारी जी से अपने आवंटन प्रार्थना पत्र में छिपाया हैं अर्थात् अप्रार्थी ने आवंटन की पात्रता से अधिक भूमि का आवंटन गलत तथ्यों के आधार पर करवाया हैं। इस प्रकार अप्रार्थी ने उक्त वादाधीन आराजी का आवंटन तथ्यों को छिपाते हुए प्राप्त किया है जो प्रारम्भ से ही शून्य आवंटन हुआ हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि उक्त तथ्यों की जांच की जाकर बाद जांच अप्रार्थी के द्वारा वादाधीन 14.00 बीघा रकबा असत्य कथनो पर आवंटन हुआ पाए जाने पर अप्रार्थी के नाम से उक्त रकबा निरस्त फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी शिशपाल पुत्र मोहकम को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार घड़साना से प्रश्नगत भूमि बाबत रिपोर्ट तलब की गई।

3. अप्रार्थी जरिये अधिवक्त हाजिर अदालत आया तथा अपना जवाब दिनांक 12.03.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ अप्रार्थी ने भूमि आवंटन का सही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर पूरी जांच करके ही रकबा पुख्ता आवंटन किया गया था, जो नियमानुसार सही था। प्रार्थी ने आवंटन को किस प्रकार गलत करवाया हैं, का कोई आधार नहीं बताया हैं। महज कह देने मात्र से ही आवंटन गलत नहीं हो जाता हैं, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र झूठा व मनगढ़त, तंग व परेशान करने वाला होने से निरस्त किया जावे। पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स्वंय द्वारा ही प्रस्तुत किया हुआ हैं व स्वंय का ही अंगुठा लगाया हुआ हैं। इस बाबत प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। सिर्फ कयासों के आधार पर झूठे इल्जाम लगाये गये हैं, जो पूरी तरह से इन्कारी हैं। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी का नाम वोटरलिस्ट में रिछपाल बताया गया है, वो रिकार्ड पर आधारित व स्वीकार्य हैं। चूंकि अप्रार्थी को शिशपाल उर्फ रिछपाल के नाम से ही पुकारा जाता था व वही नाम अप्रार्थी द्वारा दर्ज करवाया गया था। शिकायतकर्ता झूठे तथ्य प्रस्तुत करके महज तंग व परेशान कर रहा हैं। अप्रार्थी द्वारा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं जो सही तथ्य हैं वो ही दर्ज करवाये गये थे। अप्रार्थी द्वारा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है जो सही तथ्य हैं वो ही दर्ज करवाये गये थे। अप्रार्थी को

Scanned by CamScanner

दोनो नाम से ही पुकारा जाता हैं। शिशपाल व रिछपाल दोनो नाम समान मिलते–जुलते हैं। ग्रामीण भाषा में रिछपाल व शिशपाल को समान रूप से ही मानते हैं व प्रार्थना पत्र लिखवाते समय प्रार्थना पत्र लिखने वाले से ही भूल में रिछपाल के स्थान पर शिशपाल लिख दिया था। पिता का नाम, जाति, गांव व सन् वही हैं, जो प्रार्थी का हैं। कुछ भी गलत नहीं लिखवाया गया हैं व पूरी तरह से जांच करने के बाद ही रकबा पुख्ता आवंटन किया गया था, जो पूरी तरह से कानून सम्मत हैं। शिकायत झूठी हैं। अप्रार्थी को रकबा वर्ष 1975 में पुख्ता आवंटन किया गया था जिसे आज 43 वर्ष हो गये हैं। रकबा की तमाम किश्ते खजानाराज में जमा करवाने के बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं व राजस्व रिकार्ड में रकबा खातेदारी चला आ रहा हैं। प्रार्थी ने तथ्य छिपाने की शिकायत की हैं जो धारा 11/14 में नहीं आती हैं। तथ्य छिपाने की शिकायत तो आवंटन अधिकारी के समक्ष आवंटन नियम 1975 के नियम 21 में ही की जाती है। जब आवंटन नियमों में ही प्रावधान हैं तो दूसरे नियमों में कार्यवाही नहीं की जा सकती है। आवंटन के 43 वर्षो में अप्रार्थी ने कड़ी मेहनत करके व भारी खर्चा लगाकर रकबा को उपजाउ बनाया है। अब महज नाम के लिखने की भूल की वजह से रकबा निरस्त नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी द्वारा सक्षम अदालत में वाद प्रस्तुत करके अपना नाम रिकार्ड में सही करवा लिया हैं। रकबा की तमाम किश्ते जमा हो गयी है। रकबा खातेदारी हो गया हैं, रकबा शुरू से आज तक अप्रार्थी के कब्जा काश्त में हैं। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। आवंटन नियमों व काश्तकारी नियमों की कोई अवहेलना नहीं की हैं।

4. बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी शिशपाल पुत्र मोहकम ने तत्कालीन आंवटन अधिकारी उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ न. 1 राज. नहर परियोजना मुकाम बीकानेर के समक्ष स्वंय को भूमिहीन कृषक बताकर आवंटन अधिकारी को धोखा देकर, असत्य तथ्यों के आधार पर चक 1 पीएम प्रथम में पत्थर नम्बर 212/60 का किला नम्बर 8 ता 21 में 14.00 बीघा आवंटन करवा लिया। उक्त आवंटन प्रार्थनापत्र पर तथा सत्यापन एवं शपथ पत्र पर उसके स्वंय के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी भी नहीं हैं। किसी अन्य व्यक्ति के अंगुठा लगवाकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उक्त पुख्ता आवंटन के प्रार्थना पत्र पर अपना नाम शिशपाल पुत्र मोहकम दर्शाकर भूमि आवंटन संबंधी जो कार्यवाही की हैं वह अवैध की गई हैं। शिशपाल ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में अपनी पत्नी का नाम प्रेमादेवी दर्ज करवाया हैं, जो असत्य हैं। मतदाता सूची रायसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र के वर्ष 1980 की भाग संख्या 114 में क्रम संख्या 126 पर रिछपाल/मोहकम व क्रम संख्या 126 पर कलावली पति रिछपाल दर्ज चला आ रहा था। अप्रार्थी ने आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ जो फोटो कम परिचय प्रमाण पत्र पेश किया था, उसमें शिशपाल पुत्र मोहकम का फोटो नहीं लगा हैं, किसी अन्य व्यक्ति का फोटो लगाया हैं। इसलिए अप्रार्थी का आवंटन खारिज किया जावे। अधिवक्त प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर. डी. 2002 पेज 1, आर.आर.डी. 2000 पेज 140, आरआरटी 2009(1) पेज 114 व आर.आर.डी. 1990 पेज 465, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 117, आर. आर.टी. 2014(1) पेज 122 प्रस्तुत किये।

Scanned by CamScanner

5. अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस की कि शिशपाल व रिछपाल एक ही व्यक्ति को दो नामों से बुलाते हैं। अप्रार्थी ने जानबूझ कर कोई गलत नाम नहीं लिखाया है। ग्रामीण क्षेत्र में पत्नी का पीहर पक्ष का नाम व ससुराल में आने के बाद दूसरे नाम से पुकारा जाता है। पिता का नाम , गावं का नाम जाति वही हैं अप्रार्थी ने रिछपाल के स्थान पर शिशपाल नाम दर्ज करवाकर सरकार से कोई धोखा नहीं किया है, न ही कोई अनुचित लाभ उठाया है। अगर अरायजनवीस शिशपाल नाम न लिखकर रिछपाल नाम दर्ज कर देता तो भी अप्रार्थी को रकबा आवंटन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अप्रार्थी को जितना रकबा हिस्सा में आता था वह आवंटन प्रार्थना पत्र में दर्ज करवाया हुआ हैं कोई तथ्य छिपाया नहीं है। रकबा खातेदारी हो गया है। आंवटन नियम इस पर लागू नहीं होता चूंकि खातेदारी होने के बाद रकबा पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होता हैं। किसी अरायजनवीस की छोटी भूल के लिए अप्रार्थी का खातेदारी रकबा 43 वर्षो बाद खारिज किया जाना उचित नहीं हैं। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1978 पेज 118, आर.आर.डी. 1994 पेज 595, आर.आर.डी. 2001 पेज 133, आर.बी.जे. 2009 पेज 201, आर.आर.टी. 2019 पेज 539, आर.आर.टी. 2001 पेज 241 व आर.बी.जे. 1975 पेज 780 प्रस्तुत किये।
6. पैरोकार राज ने अपनी बहस में कहा कि अप्रार्थी ने अपना नाम छिपाकर रकबा आवंटन करवाया हैं इसलिए अप्रार्थी को किया गया आंवटन निरस्त किये जाने योग्य हैं।
7. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो तथा मूल आवंटन पत्रावली तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के संलग्न अप्रार्थी की मूल आवंटन पत्रावली में अप्रार्थी ने अपना नाम शिशपाल पुत्र मोहकम बिश्नोई दर्ज करवाया गया था तथा इसी प्रकार शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजो में भी शिशपाल पुत्र मोहकम दर्ज होना प्रकट होता हैं। प्रार्थी का कथन हैं कि अप्रार्थी ने आवंटन प्रार्थना पत्र में जानबूझकर झूठे तथ्य अंकित करते हुए आवंटन करवाया गया हैं जिसे निरस्त किया जावे। आवंटन पत्रावली में अप्रार्थी का अंगुठा निशान अंकित हैं इससे यह प्रकट होता हैं कि अप्रार्थी अनपढ़ व्यक्ति है। प्रार्थी का कथन हैं कि अप्रार्थी का नाम रिछपाल हैं जबकि उसके द्वारा शिशपाल बनकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जबकि वोटरलिस्ट में भी रिछपाल दर्ज था। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी का भी यही कहना हैं कि वह अनपढ़ व्यक्ति हैं , बैंक पास बुक तथा अन्य दस्तावेजो में उसका नाम रिछपाल दर्ज हैं जो सही हैं। अप्रार्थी को रिछपाल व शिशपाल दोनो नामों से जाना जाता हैं। आंवटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय उसके द्वारा अरायजनवीस को तत्समय रिछपाल पुत्र मोहकम के नाम से प्रार्थना पत्र लिखने हेतु कहा गया था परन्तु भीड़ के कारण अरायजनवीस की सुनने की गलती के कारण रिछपाल की जगह शिशपाल लिख दिया गया था जिसकी अप्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा जमाबन्दी में शिशपाल की जगह रिछपाल की दुरस्ती करवाई जा चुकी हैं। रिछपाल व शिशपाल दोनो एक ही व्यक्ति अप्रार्थी ही हैं। अप्रार्थी की मंशा सरकार को धोखा देकर, तथ्य छिपाकर भूमि आवंटन की कभी नहीं रही। अप्रार्थी ने आवंटन प्रार्थना पत्र में सही सही तथ्य दर्ज करवाये थे लिखने वाले की गलती से कोई बात गलत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

लिख दी गई थी तो इसके लिए अप्रार्थी दोषी नहीं हैं। अप्रार्थी काश्तकार हैं, खेती करता हैं तथा अनपढ़ हैं। आवंटन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स्वंय द्वारा ही पेश किया जाना प्रकट होता हैं तथा फोटो कम परिचय पत्र पर लगी फोटो भी तत्कालीन तहसीलदार द्वारा प्रमाणित कर भिजवाई गई जो आवंटन पत्रावली में शामिल हैं। किसी भी व्यक्ति को दो मिलते जुलते नामों से पुकारा जा सकता हैं। घर का नाम तथा वोटरलिस्ट का नाम भिन्न भिन्न हो सकता है। परन्तु व्यक्ति समान होना चाहिए। भारतीय समाज में स्त्रियों का अपने पीहर में जो नाम होता हैं उसका ससुराल में अन्य नाम रख दिया जाता हैं। यह भारतीय परम्परा रहीं हैं। अप्रार्थी के नाम रिछपाल व शिशपाल का उच्चारण समान है। इस प्रकरण में यह तथ्य मुख्य हैं कि शिकायतकर्ता के अनुसार अप्रार्थी का सही नाम रिछपाल था व इसने आवंटन प्रार्थना पत्र में अपना नाम शिशपाल लिखा कर रकबा आवंटन करवा लिया। अदालत को यह देखना हैं कि रिछपाल के स्थान पर अपना नाम शिशपाल लिख कर सरकार को क्या धोखा देकर अनुचित लाभ उठाया हैं क्या रिछपाल के नाम से पहले से रकबा था जो छिपाया व शिशपाल बन कर रकबा आवंटन करवा लिया, क्या आवंटन प्रार्थना पत्र में रिछपाल नाम दर्ज करवाया हुआ होता तो अप्रार्थी को रकबा आवंटन नहीं होता। प्रकरण के सारे तथ्यों का ध्यान से पढ़ने व दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अध्ययन व मनन करने के बाद वही तथ्य उभर कर सामने आता हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में शिशपाल व रिछपाल एक ही व्यक्ति को दो नामों से पुकारा जाता हैं व आवंटन प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी का नाम रिछपाल भी दर्ज होता तो भी उसको उतना ही रकबा आवंटन होता जितना शिशपाल का नाम अंकन होने से होता व अप्रार्थी ने अपने नाम के शुद्धिकरण का फैसला भी उचित अदालत से करवा लिया हैं। किसी टेक्निकल बात से 43 वर्ष पूर्व आंवटन हुए रकबा के आवंटन को निरस्त किया जाना कानून सम्मत प्रतीत नहीं होता। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होते चूंकि उन प्रकरणों के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न हैं। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों की मन्शा हैं कि बहुत लम्बे समय के बाद व रकबा खातेदारी होने के बाद एक अनपढ़ काश्तकार का आवंटनशुदा रकबा 43 वर्षो बाद किसी तकनीकी आधार पर खारिज किया जाना न्याय संगत नहीं होन से प्रार्थी का शिकायत प्रार्थना पत्र बिना किसी ठोस प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किया होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

8. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं सपठित धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व आवंटन नियम 1970 आधारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अदालत मातहत का रिकार्ड मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

सू(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़।

Scanned by CamScanner